संख्याः-09/2020/127/अड़तीस-9-20-500(39)/2013टी0सी0-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 18 अप्रैल 2020

विषय-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-21/2018/393/अड़तीस-9-2018-500(8)/2018 दिनांक-03.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि रू0 1.50 करोड़ से बढ़कर रू0 2.00 करोड़ की गयी है तथा निर्माण कार्यों पर लगने वाले कर (जी0एस0टी0) हेतु रू0 40.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत प्रत्येक विधान मण्डल क्षेत्र के लिए वर्तमान निधि जो रू0 2.00 करोड़ (जी0एस0टी0 हेतु रू0 40.00 लाख धनराशि की अतिरिक्त व्यवस्था है) प्रतिवर्ष है, को बढ़ाकर रू0 3.00 करोड़ (जी0एस0टी0 हेतु धनराशि भी सम्मिलित है) प्रतिवर्ष किया जाता है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू होगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या-21/2018/393/अड़तीस-9-2018-500(8)/2018 दिनांक-03.07.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-09/2020/127/अड़तीस-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा एवं परीक्षा), प्रयागराज, उ0प्र0।
2- समस्त मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य (द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी)।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा,/मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
10- निजी सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
11- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
14- समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
15- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
16- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
17- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
18- गार्डबुक।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।